Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFERRED JOURNAL, JULY-AUG, 2019, VOL- 7/52

भारत में साख प्रबंधन एवम् अग्रणी बैंक योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

t 'kkjnk[1] & **रत्नेश चन्द्र शर्मा[2]] Ph. D.**

[1] शोधाथिनी:–(अर्थशास्त्र)] ओ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय, चुरु(राज0)

[2] 'kk/k i;o{kd] , lkfl ,V ikQlj] अर्थशास्त्र विभाग] vk0ih0t0,l0 विश्वविद्यालय, चुरु(राज0½

Abstract

मानक वाणिज्यिक साख पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्यतः व्यापारिक वित्त** (trade finance) **में हुआ करता है जो कि आम तौर पर अपरिवर्तनीय भुगतान मुहैया करता है। साख पत्र किसी लेनदेन में भुगतान का भी स्रोत हो सकता है, मतलब यह कि साख पत्र के बदले में किसी निर्यातक को भुगतान मिल सकता है। साख पत्र का उपयोग मुख्यतः खास किस्म के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में हुआ करता है, ऐसे सौदों में जिनमें आपूर्तिकर्त्ता एक देश में बैठा हो और उसका ग्राहक किसी अन्य देश में. इनका उपयोग भूमि विकास प्रक्रियाओं के लिए भी होता है ताकि मंजूर हो चुकीं जन-सुविधाओं (सड़कें, फुटपाथ, बरसाती तालाब आदि) के निर्माण कार्य पूरे हो सकें. साख पत्र से जुड़ी पार्टियों में आम तौर पर एक लाभार्थी होता है जो रकम प्राप्त करता है, एक जारीकर्त्ता बैंक होता है आवेदक जिसका ग्राहक है और परामर्शदाता बैंक होता है लाभार्थी जिसका ग्राहक है। लगभग सभी साख पत्र अपरिवर्तनीय या अटल होते हैं, मतलब यह कि लाभग्राही, जारीकर्ता बैंक और तसदीक करने वाले बैंक के बीच पूर्व करार के बिना ना ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है न ही इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। किसी लेनदेन को संपन्न करने में गिरो (ऋण अंतरण-निपटान प्रणाली) और यात्री चेक के कार्य साख पत्र में भी निहित होते हैं। विशेष रूप से, वाणिज्यिक बीजक (कमर्शियल इनवॉयस), बिल्टी (बिल ऑफ लैडिंग) और जहाज पर लदाई के संक्रमण के दौरान खोने या नुकसान होने से बचाने के लिए किये गए बीमा से संबंधित दस्तावेज भुगतान प्राप्त करने के समय लाभार्थी को पेश करने पड़ते हैं। बहरहाल, दस्तावेजों की सूची और प्रारूप में कल्पना और समझौते की गुंजाइश होती है और हो सकता है उसमें एक तटस्थ तीसरे पक्ष द्वारा जहाज में लादे गए माल की गुणवत्ता या उसके मूल स्थान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज को पेश करने की जरुरत भी शामिल हो सकती है।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

Lkk[k i=k dh miyC/krk

चूंकि साख पत्र जारीकर्ता बैंक का अपरिवर्तनीय वचन है इसलिए आगम उपलब्ध होता है, लाभार्थी को उसके सौदे की रकम मिल जाती है, बशर्ते साख पत्र की शर्तों का कड़ाई से पालन हुआ हो, UCP 600 **तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मानक बैंकिंग प्रथा के मुताबिक दूसरे अनुबद्ध दस्तावेज जारीकर्ता बैंक को दिए गये हों, तब** :

- **यदि साख दर्शनी भुगतान** (sight payment) **की व्यवस्था करता है - अनुपालित प्रस्तुतीकरण पर मौके पर ही भुगतान**.
- **यदि साख आस्थगित भुगतान** (deferred payment) **की व्यवस्था करता है - क्रेडिट की शर्तों के अनुसार भुगतान के लिए समाप्ति की तारीख (तारीखें) निर्धारण योग्य होती हैं और निश्चित तौर पर वचनबद्ध पक्ष को नियत तारीख को ही भुगतान करना होता है तथा अनुपालित प्रस्तुतीकरण के समय ही परिपक्व तारीख सुनिश्चित कर दी जाती है।**
- **यदि साख जारीकर्ता बैंक द्वारा स्वीकृति की व्यवस्था करता है - जारीकर्ता बैंक से लाभार्थी द्वारा ली गयी हुंडी (हुंडियों) (धनादेश) की स्वीकृति के तहत ऐसी हुंडी की सही प्रतिलिपि के परिपक्व होने पर भुगतान, या**
- **यदि साख किसी दूसरे अदाकर्ता बैंक द्वारा स्वीकृति की व्यवस्था करता है - अदाकर्ता बैंक साख पर शर्त लगाकर हुंडी स्वीकार नहीं करता, तब लाभार्थी जारीकर्ता बैंक से परिपक्व हुंडियों से भुगतान प्राप्त कर सकता है।**

या फिर हुंडियों का भुगतान स्वीकार कर लिया गया हो मगर परिपक्व होने पर भी अदाकर्ता बैंक उसका भुगतान न किया हो.

- **यदि साख दूसरे बैंक से समझौते की व्यवस्था करता है - आहर्ता के शरण में गए बगैर और / अथवा प्रमाणिक धारकों, लाभार्थी द्वारा ली गयी हुंडी (हुंडियों) और/ अथवा साख के तहत पेश किये गए दस्तावेज (दस्तावेजों) पर भुगतान, (मनोनीत बैंक द्वारा जैसा समझौता हो)**

- **समझौते का आशय है हुंडी (हुंडियों) और/अथवा अधिकृत बैंक (जो कि मनोनीत बैंक है) द्वारा समझौता करने के लिए दस्तावेज (दस्तावेजों) का मूल्यांकन करना. महज दस्तावेजों की जांच करके उसका मूल्यांकन किए बगैर/ रजामंदी दिए बिना साख पत्र जारीकर्ता बैंक को भुगतान के लिए अग्रेषित कर देने पर समझौता लागू नहीं होता.**

साख पत्र के तहत मांगे जाने वाले कुछ दस्तावेज

वित्तीय दस्तावेज

विनिमय बिल, सह-स्वीकृत हुंडी

वाणिज्यिक दस्तावेज

बीजक, पैकिंग सूची

नौवहन दस्तावेज

परिवहन दस्तावेज, बीमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक, आधिकारिक या कानूनी दस्तावेज

आधिकारिक दस्तावेज

लाइसेंस, दूतावास द्वारा वैधीकरण के दस्तावेज, माल के मूल स्थल का प्रमाणपत्र, निरीक्षण के प्रमाणपत्र, वनस्पति स्वच्छता प्रमाणपत्र

परिवहन दस्तावेज

लदान-पत्र (समंदर अथवा बहुरुपी अथवा राजपत्रित पक्ष), हवाई जहाज बिल, लॉरी या ट्रक की रसीद, रेल रसीद, दूसरे साथी कंपनी के अलावा CMC अधिकारी द्वारा जारी रसीद, माल को आगे भेजने वाली कंपनी के अधिकारी द्वारा जारी रसीद, माल को आगे भेजने वाली कंपनी की रसीद, सुपुर्तगी संबंधित चालान...आदि.

lUnHkZ lwph

↑ ***फिकॉम*** *S.A. v.* ***सोसाइडेड काडेक्स*** *[1980] 2* ***लॉयड्'स रेप.*** *118.*

↑ ***यूनाइटेड सिटी मर्चेंट्स*** *(****निवेश****)* ***लिमिटेड बनाम रॉयल बैंक ऑफ कनाडा*** *(****द अमेरिकन एकॉर्ड****)* *[1983] 1.A.C. 183* ***में*** *168*

↑ ***जे. एच. रेनर*** *&* ***कं.,*** ***लिमिटेड, एंड द ऑइलसीड्स ट्रेडिंग कंपनी, लिमिटेड बनाम. हैम्ब्रोस बैंक लिमिटेड*** *[1942] 73 LI.* ***एल. रेप.****32*

↑ ***विस्तृत विश्लेषण के लिए फिंकएल्स्टाइन देखें, एच. लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ़ कमर्शियल लेटर ऑफ़ क्रेडिट, पीपी.*** *275-295*

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies